तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज प्रार्थना पत्र बाबत :—अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमां नम्बर 2022/308 बअनुवानः— लादीदेवी बनाम तहसीलदार	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तारीख मेंजारीहुआ

पीठासीनअधिकारी
श्रीबलबीर सिंह, आर.ए.एस.

उपस्थिति—
श्री गजराज चौहार, अधिवक्ता प्रार्थीनी
श्री शैतानसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी 10
श्री फारूक अली, तहसीलदार, राजपैरोकार

—: आदेश :—

दिनांक :— 12/2/24

प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 760, 760/1, 760/2, 760/3, 760/4 कुल रकबा 3.79 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसके मूल खसरा नम्बर 760 रकबा 3.79 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत 2066 के अनुसार है जिसके पुराने खसरा नम्बर 560 रकबा 23—09 बीघा थे। जिसमें से प्रार्थी नी अप्रार्थी 2 से 6 से दिनांक 21.01.2010 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से 03—10 बीघा भुमि खरीद की थी जिसका नामान्तकरण व विभाजन कर अप्रार्थीनी के खसरा नम्बर 760/1 रकबा 5666 हैक्टयर अलग हो गया। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आदेश या बिना किसी कारण के प्रार्थीनी का नाम राजस्व रेकर्ड से वर्तमान जमाबन्दी में हटा दिया। जबकि प्रार्थीनी द्वारा कोई जमीन का अन्तरण नहीं किया। वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है जिसमें से अप्रार्थी संख्या 6/1, 5/2 द्वारा जमीन का बेचान अप्रार्थी संख्या 9 को कर दिया जिसका नामान्तकरण 1214 है इससे पहले मांगीदेवी पत्नी मंगलाराम ने जमीन का बेचान अप्रार्थी संख्या 8 को कर दिया जिसका नामान्तकरण 1199 है। मूल खसरा नम्बर 760 के बाद में बटा नम्बर 760, 760/1 से 760/4 हो गये। वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 760 का रकबा 3.0625 हैक्टयर ाकबस कम कर बटा नम्बर खसरा नम्बर 760 रकबा 1.2815 हैक्टयर, खसरा नम्बर 760/3 रकबा 1.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 760/4 रकबा 0.65 हैक्टयर बनाये गये है। खसरा नम्बर 760/1 व 760/2 का रकबा यथावत रखा गया। राजस्व कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 760/1, 760/2, 760/3, 760/4 का खाता एक कर दिया। उक्त खाता एक करने की प्रकिया में प्रार्थीनी का नाम खातेदारी से बिना किसी कारण या आदेश के हटा दिया गया तथा बेचान भी कुछ खातेदारो द्वारा उपरोक्ता वर्णनुसार कर दिया। प्रार्थीनी उपरोक जमीन में 0.5666 हैक्टयर हिस्से की खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र पेश कर उपरोक्त जमीन खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.5666 हैक्टयर में अपने खातेदारी हक पूर्व अनुसार नाम दर्ज करवाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण 2 से 9 के विरूद्ध दिनांक 01.08.2023 को विधिवत रूप से नोटिस तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

गई। अप्रार्थी 10 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतानसिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पक्षकार बनाऐ जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रार्थी ने कोई एजराज नहीं होना स्वीकार करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सिकन्दर अली पुत्र अब्दुल समद लुहार निवासी मकराना को पक्षकार मुकदमां बनाया गया। अप्रार्थी 10 ने जबाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी ने गत खसरा नम्बर 560 वर्तमान 760 में से 1 बीघा भूमि रजिस्टर्ड बैचान से कय की है जिसका खातेदारी इन्द्राज होकर अलग से बटा नम्बर 760/2 रकबा 1619 हैक्टयर कायम हो गया। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी 10 का नाम बिना किसी कारण व आदेश के हटा दिया गया। उक्त भूमि में प्रार्थीनी लादीदेवी का खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.566 हैक्टयर की खातेदारी बनती है तथा खसरा नम्बर 760/2 रकबा 1619 हैक्टयर भूमि मुझ अप्रार्थी 10 की है। जिसका रिकार्ड दुरूस्त करवा कर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी 1 राजपैरोकार ने अपने पत्रांकः 734 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा जबाब पेश कर निवेदन किया है कि तत्कालीन पटवारी द्वारा सेग्रीगेशन जमाबन्दी तैयार करते समय खाता संख्या 1691 में मिला दिया गया जिसके कारण प्रार्थीनी का नाम दर्ज नहीं किया गया। सेग्रीगेशन जमाबन्दी में हुई त्रुटि को सुधार करते हुए खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.5666 हैक्टयर वर्तमान खाता संख्या 1691 में हटाकर नये खाता संख्या में लादीदेवी सोनी का नाम दर्ज किया जाना उचित होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार अपने पत्रांकः 2057 दिनांक 19.12.2023 द्वारा जबाब पेश कर वर्तमान जमाबन्दी में सिकन्दर अली पुत्र अब्दुल समद का नाम नहीं है जबकि वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 760/2 रकबा 0.1619 हैक्टयर सिकन्दर अली का नाम दर्ज किया जाना उचित होना स्वीकार किया है।

हमने उभय के विद्वान अभिभाषक व राजपैरोकार की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि क सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवचेन व पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 760, 760/!, 760/2, 760/3, 760/4 कुल रकबा 3.79 हैक्टयर भूमि है। जमाबन्दी सम्वत 2066 में खसरा नम्बर 760 रकबा 3.79 हैक्टयर था। नामान्तकरण संख्या 4176 दिनांक 29.06.2010 बेचान के द्वारा खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.5666 हैक्टयर दर्ज हुआ जिसका अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में खाता संख्या 1015 लादीदेवी पत्नी कैलाशनारायण सौनी जाति सोनी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार खसरा नम्बर 760/2 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि सिकन्दर अली पुत्र अब्दुलसमद के नाम दर्ज हुआ। जिसके बाद सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नम्बर 760/1 व 760/2 को जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मूल खाता संख्या 1691 में सम्मिलित कर दिया गया, जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थी 10 का नाम छोड़ दिया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी की खातेदारी मूल खसरा नम्बर 760 से अलग कर खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.5666 हैक्टयर सम्वत 2070–73 की जमाबन्दी में दर्ज किया गया है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 760/2 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

1619 हैक्टयर अप्रार्थी 10 की खातेदारी में दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त मूल खसरा नम्बर 760 के दो अलग खसरा नम्बर 760/3 व 760/4 भी अलग अलग दर्ज किये गये थे। लेकिन सम्वत 2074–2077 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व रिकार्ड का सेग्रीगेशन करने के दौरान खसरा नम्बर 760/1, 760/2, 760/3, 760/4 को सम्मिलित कर एक ही खाता संख्या 1691 कायम कर दिया जबकी सम्वत 2070–73 की जमाबन्दी में अलग अलग थे तथा खसरा नम्बर 760/1 प्रार्थीनी व खसरा नम्बर 760/2 अप्रार्थी 10 खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नम्बर 760/1 से 760/4 को एक ही खाता संख्या 1691 में शामिल कर दिया तथा प्रार्थीनी व अप्रार्थी 10 का नाम खातेदारी में दर्ज करने से छोड़ दिया गया, जो एक मात्र लिपिकिय त्रुटि से हुआ है। जिसकी पुष्टि अप्रार्थी 1 राजपैरोकार तहसीलदार परबतसर ने अपने जबाब में की है। जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी 10 का काउन्टर क्लेम साबित होता है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी 10 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम परबतसर के खाता संख्या 1691 के खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.5666 हैक्टयर भूमि प्रार्थीनी लादीदेवी सोनी व खसरा नम्बर 760/1 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि प्रार्थी 10 सिकन्दर अली की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग व खाता कायम किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 12/2/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्डअधिकारी
परबतसर